आवासीय विद्यालय में साक्षात्कार हेतु पात्रता एवं दिशा/निर्देश

क्र.सं.	पद नाम	पात्रता
1	व्याख्याता	सम्बन्धित विषय में स्नात्कोत्तर उपाधि मय बी.एड. तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें स्कूल व्याख्याता पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
2	वरि.अध्यापक ग्रेड–II	स्नातक उपाधि मय बी.एड तथा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
3	अध्यापक लेवल–2	सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि मय बी.एड. तथा राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा के कार्मिक जिन्हें स्कूल में अध्यापक लेवल–2 पद पर न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।

दिशा–निर्देशः–

1. केवल वे ही कार्मिक आवेदन करें जो वर्तमान में शिक्षा विभाग में राज्य सेवा में सेवारत है। कार्मिक केवल एक ही स्थान से आवेदन करे अन्यथा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
2. वेबसाईट पर बताए गए रिक्त पद अनुमानित है तथा उनमें कमी या वृद्धि संभावित है।
3. विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिये जाने एवं अन्य समस्त अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा सचिव राईस के पास सुरक्षित है।
4. कार्मिक अपनी योग्यता, अनुभव एवं किये गये विशिष्ट कार्यों से संबंधित प्रमाण–पत्रो की स्वयं सत्यापित प्रति सलंग्न करे।
5. कार्मिक की आयु विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि तक 55 वर्ष से अधिक न हो।
6. प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत विशेष वेतन भत्ता एवं निःशुल्क आवास सुविधा देय होगी है।
7. प्रतिनियुक्ति पर चयनित कार्मिकों को विद्यालय परिसर में बने आवासों में ही रहना होगा।
8. बालिका विद्यालयों में समस्त पद महिला कार्मिकों द्वारा भरे जावेंगे। महिला कार्मिक के उपलब्ध न होने की स्थिति में ही पुरूष कार्मिक के चयन पर विचार किया जावेगा।
9. चयन से पूर्व अथवा पश्चात् कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
10. प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति 2 वर्ष के लिए होगी। तदोपरान्त सेवायें संतोषप्रद पाये जाने पर प्रतिनियुक्ति आगे बढाई जा सकती है।
11. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की सेवाऐं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यमुक्त किया जा सकता है।
12. ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है/विचाराधीन है या जिनके सेवा अभिलेख में विपरीत टिप्पणियां अंकित हैं, वे कार्मिक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
13. समस्त मामलों में किसी वाद के होते हुए अन्तिम निर्णय का अधिकार निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव, राईस को होगा।
14. राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित जिलो में कार्यरत कार्मिको को, नियमानुसार प्रतिबन्धित जिलो मे ही प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner